

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्र. एफ 40(18)ग्रावि/नरेगा/तक.प./2010

जयपुर, दिनांक:

जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

21 MAY 2010

विषय:- पौधारोपण कार्य की गतिविधियों को ग्रामीण कार्य निर्देशिका में शामिल कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 17.05.10 को इंदिरा गांधी पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंताओं की बैठक में यह ध्यान में लाया गया कि पौधारोपण कार्य से संबंधित आईटमों की दरें ग्रामीण कार्य निर्देशिका में शामिल नहीं हैं।

कार्यकारी विभागों की बी.एस.आर. दरों या Analysis कर कार्य कर रहे हैं, जिनकी दरें बहुत कम हैं या अव्यवहारिक होना बताया गया। इन दरों पर पांच वर्ष के लिये पौधों का रख-रखाव नहीं किया जा सकता। इस संबंध में उचित होगा कि जिले में कार्यरत वन विभाग के अधिकारियों द्वारा पौधारोपण के कार्य में काम में ली जाने वाली सम्भावित गतिविधियों/ आईटमों की दरों के आधार पर Analysis कर जिला दर निर्धारण समिति की आगामी बैठक में ग्रामीण कार्य निर्देशिका में सम्मिलित करावें।

भवदीय,

(रामनिवास मेहता)

परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. मुख्य अभियंता (एस.एस) सा.नि.वि जयपुर।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
3. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस जिला परिषद समस्त राजस्थान।

परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस